

आदेश

बिहार पुलिस खेल-कूद नीति-2013 की कंडिका-3 (ii) के तहत "40 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वैसे खिलाड़ी, जो NIS का डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग (14 माह कोर्स) में उत्तीर्ण हों, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने पर खेल प्रशिक्षक का कार्य" करने का प्रावधान है। खेल टीम के प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति के चयन हेतु आदेश ज्ञापांक-755/373773/खेल दि.-08.06.18 से गठित बिहार राज्य पुलिस खेल-कूद चयन समिति को अनुसंशा के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

समिति राज्य स्तरीय प्रत्येक खेल-कूद स्पर्द्धा टीम प्रशिक्षक के लिए खेल नीति के तहत पारदर्शी प्रक्रिया रखयं निर्धारित करेगा।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1437/39464/खेल

105-01-04-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- २५.१०.१५

प्रतिलिपि:-

~~पुलिस महानिदेशक,~~
बिहार, पटना।